देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 650/भू अ० दिनांक : 11/9/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–पहाड़पुर सरकन्डा, थाना–देवघर , थाना सं०–632, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर–मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–पहाड़पुर सरकन्डा, थाना– देवघर , थाना सं०–632, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.15 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	295	रैयती	बाड़ी–2	0.05	अनन्त प्रसाद लाल वो अरूण प्रसाद लाल वो हरि प्रसाद लाल वो सुशील प्र0 लाल पे0 स्व0 बालेश्वर प्र0 लाल वो मनोज कुमार लाल वो ओम प्रकाश लाल वो जयप्रकाश लाल पे0 स्व0 लक्ष्मी प्र0 लाल वो दिलीप कुमार लाल वो अजित कुमार लाल वो प्रदीप कुमार लाल पे0 स्व0 त्रिपुरारी प्र0 लाल वो मीरा देवी पति स्व0 विपीन कुमार लाल वो संजय कुमार लाल वो पुरण कुमार लाल वो सत्येन्द्र कुमार लाल वो विजय कुमार लाल पे0 स्व0 चारू प्र0 लाल वो विश्वनाथ प्र0 लाल वो बमशंकर प्र0 लाल वो विनय कुमार लाल वो विनोद कुमार लाल पे0 स्व0 जगदीश प्र0 लाल।	चांद डीह वो काशी डीह	अजय नदी	फुरसा	अजय नदी
2	26	306	रैयती	बाड़ी–2	0.045	तथैव				
3	26	307	रैयती	बाड़ी–2	0.025	तथैव				
4	21	308	रैयती	बाड़ी–1	0.005	दामोदर दास वो भुमेश्वर दास पे स्व0 नुनकी महरा वो जगदेव दास वो कैलाश दास पे0 स्व0 दुखी महरा वो बाबूलाल दास पे0 स्व0 भीम दास वो फुलेश्वर दास पे0 स्व0 विदेशी महरा वो चेतु महरा वो लंकेश्वर महरा पे0 स्व0 हुरो महरा वो हृदय दास वो नरेश दास पे0 स्व0 रूपलाल महरा वो राधेदास पे0 स्व0 एतवारी महरा ।				
5	21	309	रैयती	बाड़ी–1	0.005	तथैव				
6	21	310	रैयती	बाड़ी–1	0.01	तथैव				
7	21	311	रैयती	बाड़ी–1	0.005	तथैव				

8	25	296/833	रैयती	बाड़ी–2	0.005	रामदयाल राउत पे0 स्व0 सोखी राउत।				
				कुल रकवा–	**0.15**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी 9/9/17 — अपर समाहर्त्ता 08-09-2017

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, 9/9/17
देवघर।

ज्ञापांक 650 / भू अ0, देवघर, दिनांक 11/9/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 9/9/17 — अपर समाहर्त्ता, देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, 9/9/17
देवघर।